लोक सूचना/2017/910 दिनांकः 05.10.2017 एवं लोक सूचना/2017/911 दिनांकः 05.10.2017 के माध्यम से बिन्दुवार विनिश्चय कर इस आशय की सूचना प्रेषित की गई कि "दोनों आवेदन दिनांकः 26.09.17 के साथ प्राप्त पोस्टल ऑर्डर्स उनके कार्यालय के नाम से नहीं होने एवं 10/– रूपये के पोस्टल ऑर्डर्स प्रेषित करने के कारण सूचना दिया जाना संभव नही है एवं साथ ही अंकन किया कि सूचना सही अंकित कर नकल आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर कार्यालय में कोर्ट फीस जमा कराई जाकर प्राप्त कर सकते हैं।" तदनुसार मूल आवेदन–पत्र आवेदक को वापस भिजवा दिये गये।

9. प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय को प्रस्तुत प्रथम अपील प्रार्थना–पत्र दिनांकः 04.06.2018 के अनुक्रम में न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस की पालना करते हुए पत्रांकः 522 दिनांकः 19.06.2018 के माध्यम से अपीलार्थी को बिन्दुवार जवाब प्रेषित किया गया है जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थना–पत्र दिनांकः 04.06.2018 एवं दोनों प्रथम आवेदन दिनांक 26.09.2017 में वर्णित भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1, बहरोड (अलवर) में प्रत्यर्थी द्वारा रैफरेन्स दायर किया गया है, की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी को प्रेषित करते हुए इस न्यायालय को भी प्रति प्रेषित की है।

10. इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने के बाद उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रस्तुत प्रथम आवेदन दिनांकः 26.09.2017 पर पूर्ण विनिश्चय कर सूचना प्रेषित की है जो कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदनों दिनांकः 26.09.2017 के साथ प्रत्यर्थी को संलग्न कर प्रस्तुत किए गए पोस्टल ऑर्डर्स संख्या 26F 004533 राशि रू. 10/– एवं आई.पी.ओ. सं. 26F 004534 राशि रू. 10/– राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड के नाम से ना होकर Accounts Officer old (sdo) tehsil Behrod के नाम से अंकित होने के कारण उक्त पोस्टल ऑर्डर्स के भुगतान के बाधित होने की संभावना के कारण प्रक्रियाजनित विलम्बित हुए हैं।

11. अंततः अभिलेखानुसार सूचना प्रेषित की जा चुकी है एवं अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित भी नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का अन्य प्रतिकार प्राप्त हुआ जिससे यह माना जा सकता है कि वह प्रथम अपील के पश्चात् प्रेषित सूचना से संतुष्ट है। प्रथम अपील खारिज किया जाना समीचीन है।

12. अतः प्रथम अपील खारिज कर निस्तारित की जाती है तथापि उक्त आलोक में प्रत्यर्थी विभाग, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर) को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर पूर्ण गौर कर अविलम्ब विनिश्चय किया जाकर आवेदकों को सूचित करें। साथ ही उक्त अपील में जारी नोटिस के साथ प्रेषित पोस्टल ऑर्डर्स की राशि का भुगतान नियमानुसार सहायक डाकपाल (डाक) बहरोड–301701 के माध्यम से प्राप्त कर जमा राजकोष करावें।

13. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

14. निर्णय घोषित ।

(राकेश कुमार)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

Scanned by CamScanner

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/04/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री कृष्णलाल कौंवत पुत्र स्व. श्री अमरसिंह कौंवत निवासी–आदर्श कॉलोनी, शाहजहाँपुर जिला–अलवर (राज0)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सम्बन्धित अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि : 12.06.2018

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 05.07.18

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक: 26.09.2017 के माध्यम से दो पृथक–पृथक आवेदन प्रत्यर्थी को प्रस्तुत कर ग्राम शाहजहाँपुर की प्रा0पत्र में वर्णित भूमि की अवाप्ति कार्यवाही, मुआवजा भुगतान में विलम्ब, ब्याज एवं संबंधित नियमों की प्रति, ऑर्डरसीट/नोटिफिकेशन आदि 03–03 बिन्दुओं पर सूचना/दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति की वांछा की गई थी।
5. अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक: 26.09.2017 को मय आई.पी.ओ. सं. 26F 004533 राशि रू. 10/– एवं आई.पी.ओ. सं. 26F 004534 राशि रू. 10/–, प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक: लोक सूचना/2018/336 दिनांक: 04.06.2018 के माध्यम से वापस लौटा दिये जाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांक: 04.06.18 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। साथ ही उक्तांकित पोस्टल ऑर्डर्स भी मूल रूप में संलग्न होकर प्राप्त हुए हैं।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांक: कोर्ट/ए.डी.एम. प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2018/428–30 दिनांक: 12.06.18 के माध्यम से तलब कर जवाब के साथ इस न्यायालय में उपस्थित होने निर्देशित किया गया एवं प्रथम अपील में संलग्न होकर प्राप्त पोस्टल ऑर्डर्स मूल रूप में प्रत्यर्थी को अपील के साथ भिजवाते हुए प्रति उप डाकपाल, डाकघर बहरोड को इस आशय के साथ प्रेषित की गई कि प्रत्यर्थी द्वारा मूल पोस्टल ऑर्डर्स डाकघर में प्रस्तुत करने पर जमा राजकोष करें।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांक: लोक सूचना/2018/523 दिनांक: 19.06.18 के माध्यम से बिन्दुवार जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
8. हमने प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब एवं अपीलार्थी की प्रथम अपील का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के दो पृथक–पृथक आवेदनों दिनांक: 26.09.2017 पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में ही अपीलार्थी को क्रमशः पत्रांक:

जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

Scanned by CamScanner